तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र / एल0आर0 / 7779 / 2006 / नागौर** **मोहनलाल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री एस.पी. ओझा, राजकीय अभिभाषक (सरकार की ओर से)
(3) श्री बसन्त विजयवर्गीय, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 07.05.2025

यह प्रार्थना पत्र धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, मकराना के प्रकरण सं0 40/2005 में पारित निर्णय दिनांक 30–11–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 30–11–2005 से खसरा नं0 688 ग्राम मकराना में खसरा नं0 725 एवं 767/1 की तरफ कुल लंबाई 442 फुट में रेलवे की भूमि 22 फुट मानी जाकर शेष 30.8 फुट भूमि को सिवायचक घोषित किया गया है।

2– विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार रहित है तथा भू–राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी भूमि को सिवायचक दर्ज करने का अधिकार नहीं है। विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व खरीदशुदा भूमि है, के भाग को सिवायचक घोषित कर विधिक भूल कारित की है। विचारण न्यायालय यह निश्चित नहीं कर सके कि जिस भूमि का क्षेत्रफल 30.8 फीट घोषित कर रहे है, पूर्व में इस खसरा नंबर का भाग रहे है। प्रश्नगत भूमि खसरा नं0 788 का भाग नहीं है। रेलवे स्वयं अपनी भूमि नहीं मानती है। रेलवे लाईन अर्थात् रेलवे की भूमि समाप्त होते ही प्रार्थीगण की भूमि प्रारम्भ हो जाती है अर्थात् जहां रेलवे ट्रेक से रेलवे की भूमि 22 फुट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र / एल0आर0 / 7779 / 2006 / नागौर** **मोहनलाल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है वहीं से प्रार्थीगण की भूमि की सीमा शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में 30.8 फीट भूमि किसी भी सिवायचक भूमि का भाग नहीं होते हुए भी आदेश अन्तर्गत 136 भू–राजस्व अधिनियम प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार से परे पारित किया है। अप्रत्यक्ष रूप से आदेश अन्तर्गत 136 भू–राजस्व अधिनियम प्रार्थना पत्र पारित कर प्रार्थीगण को बेदखल किये जाने की साजिश है। प्रार्थीगण व्यथित पक्षकार होने से वह पूर्व में प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं होने से मण्डल में अब यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, मकराना का आदेश दिनांक 30–11–2005 को निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को नये सिरे पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

4– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया है कि मौका रिपोर्ट में आबादी भूमि 52 फीट के बाद है। रेलवे के नक्शे में 22 फीट को 52.8 फीट से 30.5 फीट राजकीय भूमि की है जो उचित है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 तहसीलदार द्वारा पेश किया गया। धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ही उक्त आदेश पारित किया गया है। जिसकी अपील संभागीय आयुक्त के यहाँ होनी चाहिए थी जो नहीं की गई। धारा 9 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में उक्त प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

5– उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में तर्क दिये है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार 688 में से 22 फीट भूमि है। खसरा नं0 725 की तरफ अतिक्रमण किया हुआ है। जिसमें धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ हुयी थी। रेलवे की भूमि में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी प्रभावित पक्षकार ही नहीं है। उक्त आदेश की अपील संभागीय आयुक्त के यहाँ होगी। यहाँ धारा 9 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के पॉवर प्रयोग नहीं किये जा सकते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र / एल0आर0 / 7779 / 2006 / नागौर** **मोहनलाल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन एवं परिशीलन किया। 7– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 21–11–2005 को जिला कलक्टर, नागौर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रेलवे के अधिकारियों द्वारा उनका ओथेन्टीकेटेड लैण्ड प्लान, 1962 प्रस्तुत किया। जिसमें रेलवे अधिकारियों के साथ जिला कलक्टर, नागौर, तहसीलदार, परबतसर व गिरदावर तथा पटवारी उपस्थित थे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार उनका यह प्लान भूमि के स्वामित्व के संबंध में प्रमाणित है। नक्शे के आधार पर ही खसरा नं0 688 में रेलवे ट्रेक के दक्षिण की तरफ ट्रेक के मध्य से खसरा नं0 725 एवं 767/1 की तरफ रेलवे की भूमि मात्र 22 फुट है। शेष भूमि पर खसरा नं0 725 की तरफ मोहनलाल अग्रवाल व खसरा नं0 767/1 की तरफ प्रेमप्रकाश सोलंकी का अतिक्रमण है। अतः प्लॉन 1962 के अनुसार उक्त स्थान पर रेलवे की भूमि 62 फुट मानते हुए राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार, मकराना से रिपोर्ट ली गई। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नं0 688 में रेलवे ट्रेक से खसरा नं0 725 एवं 767/1 की तरफ रेलवे की भूमि 52.8 फीट है जबकि रेलवे अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्लॉन 1962 के अनुसार रेलवे की भूमि 22 फुट है। राजस्व नक्शे के अनुसार खसरा नं0 688 में उपरोक्त स्थान पर रेलवे ट्रेक के मध्य से 52.8 फुट चौडाई में भूमि रेलवे की है। तहसीलदार, मकराना एवं रेलवे अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के जवाब में अतिक्रमणकारी प्रेमप्रकाश द्वारा अपने स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रेमप्रकाश की भूमि 767/1 की है जो कि राजस्व नक्शे के अनुसार रेलवे ट्रेक के मध्य से 52.8 फुट के पश्चात् ही है। पट्टा दिनांक 31–03–1955 सम्वत् 2012 में जारी किया गया है जबकि तहसील क्षेत्र मकराना में भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004 में किया गया था। जिसमें रेलवे ट्रेक से 52.8 फुट चौडाई दर्शाई गयी है। जिससे स्पष्ट है कि रेलवे की भूमि में तहसीलदार, परबतसर द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं कर सकता। उक्त पट्टा आबादी भूमि में ही जारी किया गया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र / एल0आर0 / 7779 / 2006 / नागौर** **मोहनलाल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

होगा। आबादी भूमि की सीमा रेलवे ट्रेक से 52.8 फुट पश्चात् शुरू होती है। मौका रिपोर्ट में आबादी भूमि 52 फीट के बाद है। रेलवे के नक्शे में 22 फीट को 52.8 फीट से 30.5 फीट राजकीय भूमि की है। धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम तहसीलदार द्वारा पेश किया। धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में उक्त आदेश पारित किया गया है। जिसकी अपील संभागीय आयुक्त के यहाँ होनी चाहिए जो नहीं की गई। धारा 9 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में उक्त प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 30–11–2005 से खसरा नं0 688 ग्राम मकराना में खसरा नं0 725 एवं 767/1 की तरफ कुल लंबाई 442 फुट में रेलवे की भूमि 22 फुट मानी जाकर शेष 30.8 फुट भूमि को सिवायचक घोषित की गई है जो न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गुणावगुण पर सारहीन होने से **खारिज** किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, मकराना का निर्णय दिनांक 30–11–2005 को यथावत् रखा जाता है।

9– अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य